निर्णय बइजालास मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 357 / प्रार्थना–पत्र / 2018 तारीख दायरा 26.11.2018

उनवान

देवीलाल पुत्र नारायण जाति भील निवासी रलायता तह0 झा0पाटन

—–प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश चन्द्र पुत्र सुन्दरलाल जाति भील निवासी मोतीपुरा तह0 झालरापाटन
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तह0 झा0पाटन

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति– विद्वान अभिभाषक श्री कैलाश चन्द शर्मा (प्रार्थी)
विद्वान अभिभाषक श्री मुरलीमनोहर गुप्ता (अप्रार्थीगण)

निर्णय

निर्णय दिनांक – 01.01.2020

संक्षेप में प्रार्थना –पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रलायता तह0 झा0पाटन में नया खाता संख्या 72 पुराना 74 की खसरा न0 66 / 573 की 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा न0 101 की 12 बिस्वा, व खसरा न0 102 की 1 बिस्वा, खसरा न0 103 की रकबा 3 बिस्वा, खसरा न0 104 रकबा 10 बिस्वा, खसरा न0 106 रकबा 6 विस्वा, खसरा न0 108 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा न0 110 / 587 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, खसरा न0 217 / 597 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा कुल 9 किता की 10 बीघा 7 बिस्वा आराजी स्थित है। नकल जमाबन्दी 2071 से 2074 पेश की है। इसी ग्राम की खाता संख्या नया 26 पुराना 158 की खसरा न0 217 / 596 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा आराजी बताई है। जिसके खातेदार मालिक प्रतिवादी कैलाश चन्द है। नकल जमाबन्दी 2071 से 2074 पेश की है। प्रश्नगत आराजी के खसरा न0 217 / 596 को प्रतिवादी की दर्शाई है। और खसरा न0 217 / 597 वादी की दर्शाई गई है। वर्तमान स्थिति यही है जबकि वादी के हक की जमीन 217 / 596 है और प्रतिवादी की जमीन 217 / 597 है जो शुद्ध योग्य है। वादी को गलत तरीके से नजरी नक्शे में प्रतिवादी के खसरा न0 217 / 597 पर बिठा रखा है जबकि वादी का वास्तविक खसरा न0 217 / 596 है जिस पर वादी को दर्शाया जाकर नजरी नक्शे में शुद्ध किया जावे। खसरा न0 217 / 596 पर वादी का कब्जा बरकरार है। तथा नजरी नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई है जिसको शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर जवाब प्रार्थना पत्र चाहा गया। अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री मुरलीमनोहर गुप्ता ने दिनांक 21.08.2019 को एवं इससे पूर्व प्रतिवादी गण की तरफ से वकील श्री गजेन्द्र कुमार एडवोकेट ने दिनांक 29.07.2019 को वकालत नामा पेश किया था दोनों वकालत नामा पत्रावली में शामिल है। अप्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र के प्रतिउत्तर में जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2019 को पेश किया जो शामिल पत्रावली है और पत्रावली को बहस में रखा गया। दौरान ए बहस वकील अप्रार्थी ने दिनांक 02.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिसका निस्तारण 03.12.2019 को किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया गया है तथा पत्रावली को मूल प्रार्थना पत्र बहस में रखी गई है।

प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार झालरापाटन से तरमीम के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

तहसीलदार झालरापाटन ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम रलायता में वर्तमान जमाबन्दी में खसरा न0 217/596 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा, 217/597 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा खातेदारी में क्रमशः कैलाश चन्द तथा नारायण लाल भील के नाम खाता दर्ज है। वर्तमान में नक्शा लठ्ठा ट्रेस में उत्तर दिशा में खसरा न0 217/596 तथ दक्षिण में खसरा न0 217/597 की तरमीम की हुई है। जबकि नामान्तरण संख्या 209 दिनांक 07.07.1997 को देखने पर पीछे की ओर बने नजरी नक्शे में उत्तर दिशा में नारायण भील के वारिसान अर्थात खसरा न0 217/597 बना हुआ है। इसी तरह दक्षिण दिशा में खसरा न0 217/596 बना हुआ है। ऐसी स्थिति में वर्तमान नक्शा लठ्ठा में तरमीम तथा नामान्तरण करण पुष्ठ पर दर्ज नजरी नक्शे में विरोधाभास है। जबकि वर्तमान में मौके पर दोनों खातेदार नामान्तरण करण पुष्ठ पर बने बखारे के नजरी नक्शे के अनुसार ही काबिज है। ऐसी स्थिति में नक्शा लठ्ठा में दर्ज तरमीम गलत प्रतीत होती है। जिसे मौके व नामान्तरण करण जिल्द में दर्ज नजरी नक्शे अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट प्रथम दृष्टतया सही प्रतीत होती है। तथा राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में जो तरमीम गलत की गई है। उसे प्रार्थी के हक में सही तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश है कि ग्राम रलायता के खाता संख्या नया 26 पुराना 158 की खसरा न0 217/597 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वादी के नाम शुद्ध करण किया जाकर उक्त आराजी वादी के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड की जावे व प्रतिवादी के नाम खसरा न0 217/596 प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड की जाकर नजरी नक्शे में वास्तविक स्थिति दर्ज कर तरमीम की जावे। तहसीलदार झा0पाटन निर्णयानुसार तरमीम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.01.28 11:20:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: